NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-11-2026

विषय सूची

लोक लेखा समितियाँ (PACs) सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती हैं: लोकसभा अध्यक्ष

मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस

भारत में राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता

पंपित भंडारण जलविद्युत (पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर)

संक्षिप्त समाचार

- भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग
- अमेरिका के मध्यावधि चुनाव
- सिक्किम का सोरेंग बना भारत का प्रथम अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर
- संरक्षित क्षेत्र परमिट नियम
- लद्दाख में केसर की खेती
- प्रथम अंतरराष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026
- अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026

लोक लेखा समितियाँ (PACs) सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती हैं: लोकसभा अध्यक्ष

संदर्भ

- लोकसभा अध्यक्ष ने लोक लेखा समितियों (PACs) से लंबित लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर समयबद्ध कार्रवाई करने तथा सरकारी व्यय के परिणामों की अधिक गहन जाँच करने का आग्रह किया।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की गई सिफारिशें

- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:** समितियों को जहाँ भी उपयुक्त हो, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय पर परियोजना पूर्ण होने तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच के लिए परियोजना स्थलों का दौरा करना चाहिए।
- **कल्याणकारी योजनाओं की जाँच:** उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में केवल व्यय की गई राशि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लाभार्थियों पर उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आँकड़ा विश्लेषण और अन्य प्रौद्योगिकियाँ समितियों को व्यय संबंधी आँकड़ों की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने, प्रवृत्तियों की पहचान करने, संभावित अनियमितताओं का पता लगाने तथा लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निगरानी करने में सहायता कर सकती हैं।
- **संसदीय चर्चा:** संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान लोक लेखा समिति की कम-से-कम एक रिपोर्ट तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की जानी चाहिए।

लोक लेखा समिति के बारे में

- लोक लेखा समिति संसद की एक ऐसी समिति है, जो सरकार के व्यय की जाँच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप किया जाए।
- यह संसद की तीन वित्तीय समितियों में से एक है। अन्य दो समितियाँ हैं:
 - प्राक्कलन समिति।
 - सार्वजनिक उपक्रम समिति।
- **स्थापना:** इसका गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद वर्ष 1921 में किया गया था।
- **प्रकृति:** यह संसद की एक स्थायी समिति है। स्थायी समिति संसद की ऐसी विशिष्ट समिति होती है, जो स्थायी रूप से कार्य करती है और जिसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है।
- **संवैधानिक स्थिति:** यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है।
- **संरचना:** इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं—
 - लोकसभा से 15 सदस्य।
 - राज्यसभा से 7 सदस्य।
- **सदस्यों का निर्वाचन:** सदस्यों का निर्वाचन संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है।
- **कार्यकाल:** सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- **मंत्री की सदस्यता:** कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता।
- **अध्यक्ष की नियुक्ति:** समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
 - वर्ष 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से नियुक्त किया जाता है।
- **कार्य:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच करना।
 - यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक व्यय की समीक्षा करना कि उसमें अपव्यय या अनियमितता न हो।
 - कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
 - राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CAG के साथ समन्वय में कार्य करना।

संसदीय स्थायी समितियाँ क्या हैं?

- संसदीय स्थायी समितियाँ (PSCs) संसद की स्थायी समितियाँ हैं, जिनका गठन कार्यपालिका के कार्य की जाँच, समीक्षा और निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- ये समितियाँ पूरे वर्ष कार्य करती हैं, जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी प्रकृति की होती हैं।
- **संसदीय स्थायी समितियों के प्रकार:**
 - **विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs):** ये समितियाँ मंत्रालयों की अनुदान माँगों, उन्हें संदर्भित विधेयकों तथा नीतिगत मुद्दों की जाँच करती हैं। उदाहरण: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति।

- **वित्तीय समितियाँ :**
 - लोक लेखा समिति (PAC)।
 - प्राक्कलन समिति।
 - सार्वजनिक उपक्रम समिति।
- **अन्य स्थायी समितियाँ :**
 - कार्य मंत्रणा समिति।
 - विशेषाधिकार समिति।
 - नियम समिति।

संसदीय स्थायी समितियों की भूमिका

- **संसद से परे विस्तृत वित्तीय जाँच :** संसदीय परिचर्चाओं में प्रायः बजटीय प्रावधानों की विस्तृत जाँच के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होता है।
 - स्थायी समितियाँ अनुदान माँगों, व्यय की प्रवृत्तियों तथा धन के उपयोग के स्वरूप की विस्तृत जाँच करती हैं।
- **साक्ष्य-आधारित एवं निष्पक्ष निगरानी:** समितियाँ विशेषज्ञों के सुझावों और आँकड़ा-आधारित विश्लेषण पर निर्भर रहते हुए निष्पक्ष तरीके से कार्य करती हैं।
 - उनकी रिपोर्टें नीतियों के कार्यान्वयन और राजकोषीय अनुशासन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत करती हैं।
- **कार्यपालिका के कामकाज की निगरानी:** समितियाँ पूरे वर्ष कार्य करती हैं और मंत्रालयों तथा विभागों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करती हैं।
 - इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

भारत में बजटीय पूर्वानुमान और धन के उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ

- **अवास्तविक एवं बढ़ा-चढ़ाकर किए गए बजटीय पूर्वानुमान:** मंत्रालय प्रायः कार्यान्वयन क्षमता का यथार्थ आकलन किए बिना ही व्यय संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान प्रस्तुत करते हैं।
 - धन के कम उपयोग के बावजूद बजटीय आवंटन में निरंतर वृद्धि होना कमजोर पूर्वानुमान व्यवस्था को दर्शाता है।
- **आवंटित धन का अपर्याप्त उपयोग ::** बजट अनुमान (BE) और वास्तविक व्यय (AE) के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर पाया जाता है।
 - आवंटित धन का अपर्याप्त उपयोग होने से सार्वजनिक संसाधन निष्क्रिय पड़े रहते हैं तथा विकासात्मक परिणाम प्राप्त होने में विलंब होता है।
- **परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के बिना वृद्धिशील बजट निर्माण:** बजटीय आवंटन में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है, लेकिन इसे पिछले प्रदर्शन या प्राप्त परिणामों से नहीं जोड़ा जाता है।
 - यह परिणाम-आधारित बजट निर्माण के बजाय निवेश-आधारित बजट निर्माण की प्रधानता को दर्शाता है।
- **राजकोषीय अनुशासनहीनता:** मंत्रालय आवंटित धनराशि को पूरी तरह व्यय करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय करते हैं।
 - इस प्रकार का व्यय त्रैमासिक व्यय योजना के मानदंडों तथा राजकोषीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

आगे की राह

- संसदीय समिति की टिप्पणियाँ कार्यपालिका की जवाबदेही और राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पुनः रेखांकित करती हैं।
- शासन के परिणामों में सुधार लाने तथा भारत की राजकोषीय व्यवस्था की विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करने के लिए परिणाम-आधारित बजट निर्माण को सुदृढ़ करना और नीतियों को वित्तीय प्रावधानों के साथ एकीकृत करना आवश्यक है।

स्रोत: DD

मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस

संदर्भ

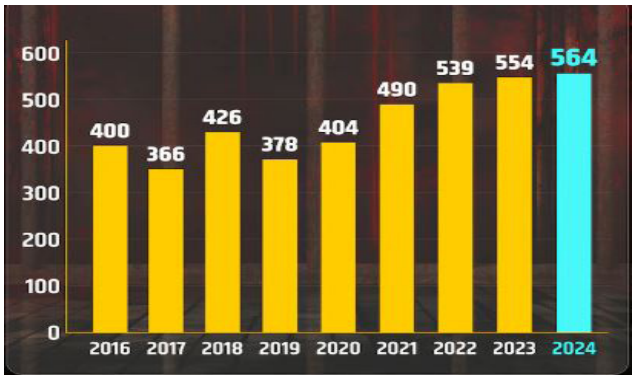
- मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मृत्युदंड की समाप्ति का समर्थन करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
 - इसे वर्ष 2003 में मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व गठबंधन द्वारा निर्धारित किया गया था और प्रथम बार आयोजित किया गया था।

परिचय

- **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980):** सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित कीं।
- अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 393(3) के अंतर्गत आजीवन कारावास को सामान्य दंड माना गया है तथा मृत्युदंड केवल 'विशेष कारणों' के आधार पर ही दिया जा सकता है।
 - न्यायालयों को अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अभियुक्त की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए, जहाँ आजीवन कारावास का विकल्प 'निश्चित रूप से अनुपयुक्त' हो।

भारत में मृत्युदंड

- दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट 39A की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में लगातार दूसरे वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की।
- **भारत में मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे कैदी:**



- भारत में मृत्युदंड को फाँसी के रूप में दिया जाता है, अर्थात् दोषी व्यक्ति को गर्दन से तब तक लटकाया जाता है, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।
- पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं। वहीं अमेरिका, ईरान, चीन और भारत जैसे देशों ने मृत्युदंड देने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाए रखी है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि मृत्युदंड का प्रयोग केवल 'विरलतम से विरल' मामलों में किया जाना चाहिए। भारत में इसे अंतिम बार वर्ष 2020 में निर्भया मामले में लागू किया गया था।
- वर्ष 2025 में निचली अदालतों ने 128 व्यक्तियों को मृत्युदंड सुनाया। जिन मामलों में प्रक्रिया के अनुपालन का आकलन किया जा सका, उनमें से 95.18% मामलों में मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

भारत में 'विरलतम से विरल(Rarest of Rare)' का सिद्धांत

- **1972 — जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- **1980 — बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य:** न्यायालय ने 'विरलतम से विरल' का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
- **1983 — मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने 'विरलतम से विरल' सिद्धांत को स्पष्ट किया तथा अपराधों की पाँच ऐसी श्रेणियों की पहचान की, जिनमें मृत्युदंड उचित हो सकता है:
 - a. **हत्या करने का तरीका:** अत्यंत क्रूर और जघन्य तरीके से की गई हत्याएँ।
 - b. **हत्या का उद्देश्य:** ऐसे उद्देश्य से की गई हत्या, जो पूर्ण नैतिक पतन को दर्शाती हो।
 - c. **अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति:** जब हत्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई हो और उससे व्यापक सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हुआ हो।
 - d. **अपराध की व्यापकता:** जब अपराध का विस्तार या उसका प्रभाव अत्यधिक व्यापक हो।
 - e. **पीड़ित की स्थिति:** जब पीड़ित विशेष रूप से असुरक्षित हो, जैसे बच्चा, महिला या वृद्ध व्यक्ति।
- **मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022):** सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश निर्धारित किए। इसके अंतर्गत राज्य के लिए अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, हिरासत के दौरान उसके आचरण संबंधी रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया।
- **वसंत संपत दुपारे बनाम भारत संघ (2025):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मनोज मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप दंड निर्धारण की सुनवाई संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से उत्पन्न होती है।
 - ऐसी सुनवाई के बिना दिया गया मृत्युदंड असंवैधानिक है और अंतिम निर्णय हो जाने के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे पुनः चुनौती दी जा सकती है।

मृत्युदंड से संबंधित चिंताएँ

- **गलत दोषसिद्धि का जोखिम:** दोषपूर्ण जाँच, अविश्वसनीय साक्ष्य, झूठी गवाही या न्यायिक त्रुटियों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को मृत्युदंड दिए जाने की संभावना बनी रहती है।
- **अपराध रोकने में प्रभावशीलता का निर्णायक प्रमाण नहीं:** ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास की तुलना में अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है।
- **दंड की अपरिवर्तनीयता:** अन्य दंडों के विपरीत, मृत्युदंड लागू हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, भले ही बाद में नए साक्ष्यों से संबंधित व्यक्ति की निर्दोषता सिद्ध हो जाए।
- **मनोवैज्ञानिक पीड़ा:** मृत्युदंड के अंतिम निर्णय को लेकर लंबे समय तक बनी अनिश्चितता, बार-बार की अपीलें तथा मृत्युदंड की प्रतीक्षा में वर्षों तक कारावास में रहना कैदियों में गंभीर मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है।

मृत्युदंड पर वैश्विक व्यवस्था

- **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) का अनुच्छेद 6:** यह अनुच्छेद सीमित परिस्थितियों में मृत्युदंड की अनुमति देता है।
 - हालाँकि, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी सदस्य देश द्वारा मृत्युदंड समाप्त करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बननी चाहिए और न ही उसमें विलंब का कारण बननी चाहिए।
- **1984 — संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा उपाय:** - संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देने वाले सुरक्षा उपायों को अपनाया।
- **1989 — ICCPR का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रोटोकॉल को अपनाया, जिसमें सदस्य देशों से मृत्युदंड समाप्त करने का आग्रह किया गया।
 - जिन देशों ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड न देने की सहमति व्यक्त की।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव (2007–2018):** इन प्रस्तावों के माध्यम से देशों से निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह किया गया:
 - मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों का सम्मान करना।
 - मृत्युदंड के प्रयोग को क्रमिक रूप से सीमित करना।
 - मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों की संख्या कम करना।
- प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों में से दो-तिहाई से अधिक देशों ने मृत्युदंड के प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी महासभा के दसवें प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

निष्कर्ष

- विगत एक दशक में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मृत्युदंड के लगभग एक-तिहाई मामले दोषमुक्ति में समाप्त हुए हैं।
- केवल वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड से संबंधित अपने द्वारा निपटाए गए 19 मामलों में से 10 में अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने बार-बार जाँच और अभियोजन में गंभीर खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट (2015) में मृत्युदंड से संबंधित मनमानेपन, भेदभाव, गलत दोषसिद्धि तथा अपराध रोकने में इसकी प्रभावशीलता के निर्णायक प्रमाणों के अभाव जैसी चिंताओं को रेखांकित किया।
- आयोग ने आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराधों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त करने की सिफारिश की।
- बच्चन सिंह से लेकर दुपारे तक विकसित किए गए सुरक्षा उपाय न्याय सुनिश्चित करने में बाधा नहीं हैं, बल्कि वे आवश्यक शर्तें हैं, जिन पर मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता आधारित है।

स्रोत: TH

भारत में राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता

संदर्भ

- केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 और 16वें वित्त आयोग ने शहरी नियोजन एवं शासन-व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत में शहरीकरण की स्थिति

- **शहरी जनसंख्या:** वर्ष 2011 में भारत के लगभग 8,000 शहरों और कस्बों में 37.7 करोड़ शहरी निवासी थे।
 - संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत की 44% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2050 तक इसके 72 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।
- **बदलते बसावट प्रतिरूप:** लगभग 94% शहरी बस्तियाँ छोटे कस्बों की श्रेणी में आती हैं, जबकि लगभग 60% शहरी जनसंख्या प्रथम श्रेणी के शहरों में निवास करती है।
- **शहरी परिधीय क्षेत्रों का विस्तार:** शहरी परिधीय क्षेत्रों का विस्तार लगभग 4.15% वार्षिक दर से हो रहा है, जबकि वर्तमान शहरों की सीमाओं के अंदर विकास दर 2.9% है।
- **कार्यात्मक शहरीकरण:** आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने रेखांकित किया कि कार्यात्मक दृष्टि से भारत आधिकारिक परिभाषाओं की तुलना में अधिक शहरीकृत है। इसमें उपग्रह-आधारित अनुमानों का उल्लेख किया गया, जिनके अनुसार वर्ष 2015 में भारत का शहरीकरण स्तर 63% था।

संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 243Q:** नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों के गठन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 243W:** राज्य विधानमंडलों को नगरपालिकाओं को शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार प्रदान करता है।
- **बारहवीं अनुसूची:** उन 18 कार्यों की सूची प्रदान करती है, जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है।
- **अनुच्छेद 243ZD:** जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 243ZE:** महानगर योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है।

वर्तमान शहरी वर्गीकरण की सीमाएँ

- **जनगणना के पुराने मानदंड:** जनगणना 2027 में जनगणना नगरों की पहचान के लिए वर्ष 2011 के मानदंडों को बनाए रखा जाएगा:
 - कम-से-कम 5,000 की जनसंख्या।
 - प्रति वर्ग किलोमीटर कम-से-कम 400 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व।
 - मुख्य पुरुष कामगारों में से कम-से-कम 75% का गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होना।
- **प्रशासनिक सीमाएँ:** अनुच्छेद 243Q राज्यों को किसी क्षेत्र को शहरी घोषित करने के संबंध में विवेकाधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसमें एकसमान मानदंडों या अनिवार्य आवधिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है।
- **आर्थिक गतिविधियों और शासन-व्यवस्था के बीच असंगति:** कई ऐसी बस्तियाँ, जहाँ अधिकांश रोजगार गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित हैं, अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में प्रशासित होती हैं।
- **अपर्याप्त स्थानिक नियोजन:** लगभग 52% वैधानिक नगरों और 76% जनगणना नगरों के पास नगर विकास की व्यापक योजनाएँ (मास्टर प्लान) नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अनियोजित विस्तार और आधारभूत संरचना संबंधी कमियाँ उत्पन्न होती हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **उभरती हुई शहरी बस्तियों की पहचान:** यह एकसमान मानदंड स्थापित करेगी तथा शहरी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही बस्तियों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करेगी।
- **एकीकृत क्षेत्रीय नियोजन:** यह नगरपालिका की सीमाओं से आगे बढ़कर शहरी परिधीय क्षेत्रों और परस्पर जुड़े आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए नियोजन को प्रोत्साहित करेगी।
- **शहरी शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ करना:** यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय में सुधार करेगी तथा संस्थागत उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करेगी।
- **नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार:** भारत में नगरपालिका राजस्व सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 1% है, जबकि ब्राज़ील में यह 7.4% और दक्षिण अफ्रीका में 6% है।
 - एक सुसंगत नीति नगरपालिका राजस्व एकत्रित करने की क्षमता को सुदृढ़ कर सकती है तथा पूर्वानुमेय वित्तीय अंतरण सुनिश्चित कर सकती है।

राष्ट्रीय शहरीकरण नीति के लिए सिफारिशें

- विश्व संसाधन संस्थान (WRI) इंडिया की रिपोर्ट 'भारत में शहरों की समतामूलक, उत्पादक, निम्न-कार्बन एवं लचीली प्रणाली—राष्ट्रीय शहरीकरण नीति के लिए सिफारिशें' में सात प्रमुख प्रणालीगत बदलावों का प्रस्ताव किया गया है:
 - वैधानिक शहरी बस्तियों की परिभाषा एवं वर्गीकरण को मानकीकृत करना।
 - स्थानिक एवं क्षेत्रीय नियोजन का आधुनिकीकरण करना।
 - शहरीकरण के लिए सार्वजनिक एवं निजी वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करना।
 - राष्ट्रीय शहरीकरण परिषद के नेतृत्व में विभिन्न स्तरों वाली समन्वय व्यवस्था स्थापित करना।
 - कार्यात्मक आधारों पर क्षेत्रवार सुधारों को आगे बढ़ाना।
 - शहरी राजनीति को सुधारों के लिए प्रोत्साहनकारी व्यवस्था के अनुरूप बनाना।
 - ज्ञान के आदान-प्रदान एवं स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

- भारत को पारंपरिक ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण से आगे बढ़कर शहरीकरण के प्रति कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय शहरीकरण नीति इस परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक साझा संस्थागत एवं वित्तीय ढाँचा प्रदान कर सकती है। साथ ही, यह समतामूलक, उत्पादक, निम्न-कार्बन एवं जलवायु तथा अन्य चुनौतियों के प्रति सक्षम शहरों के विकास को बढ़ावा दे सकती है।

स्रोत: TH

पंपित भंडारण जलविद्युत (पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर)

संदर्भ

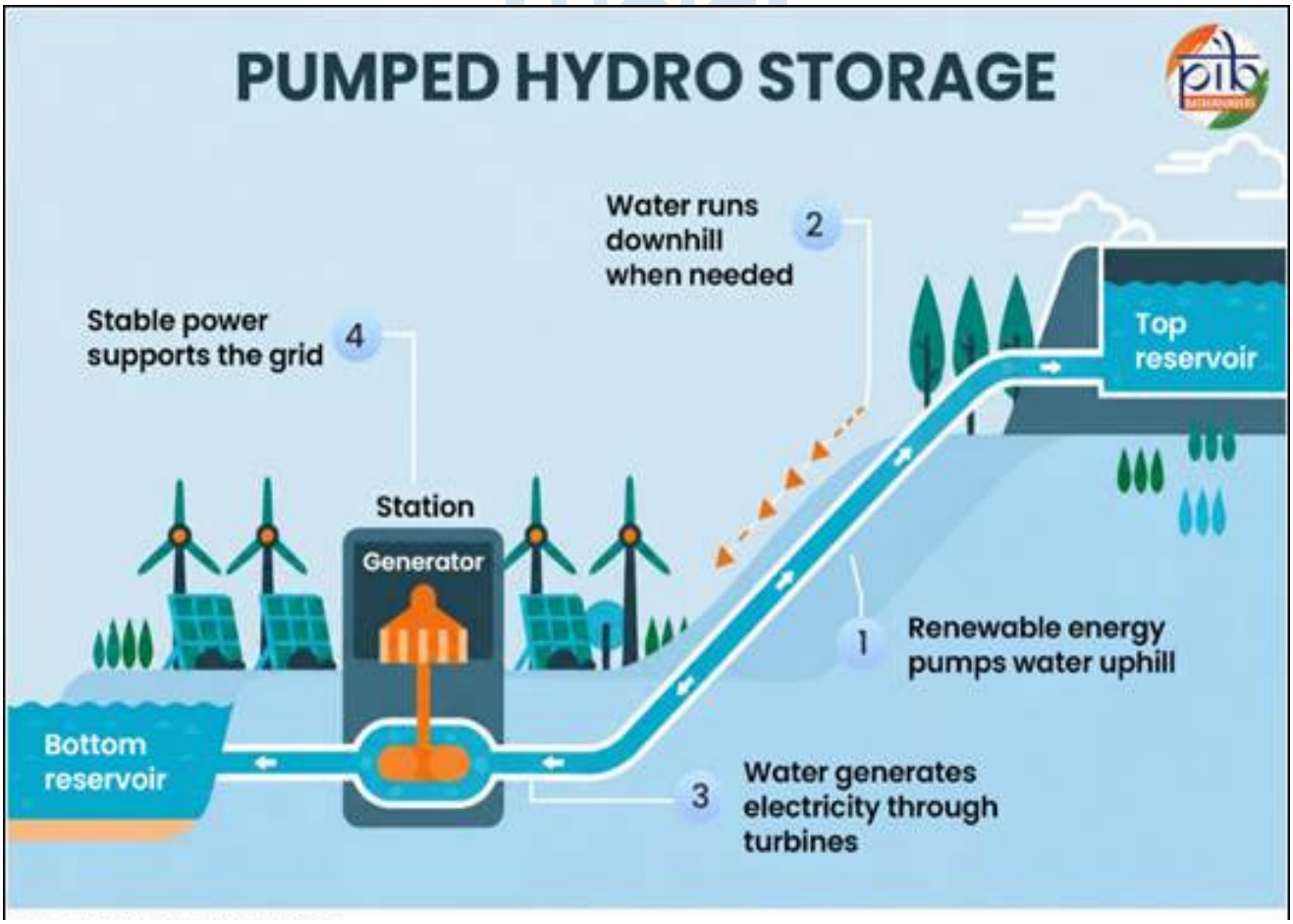
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, विद्युत ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंपित भंडारण जलविद्युत क्षमता का विस्तार कर रहा है।

पंपित भंडारण जलविद्युत की आवश्यकता

- सितंबर 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 308.027 गीगावाट है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत ने लगभग 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता जोड़ी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- हालाँकि, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण उस समय विद्युत भंडारण की आवश्यकता बढ़ रही है, जब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन माँग से अधिक होता है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने वर्ष 2031–32 तक 73.93 गीगावाट भंडारण क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।
- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - पंपित भंडारण परियोजनाओं (PSPs) से 26.69 गीगावाट क्षमता।
 - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) से 47.24 गीगावाट क्षमता।

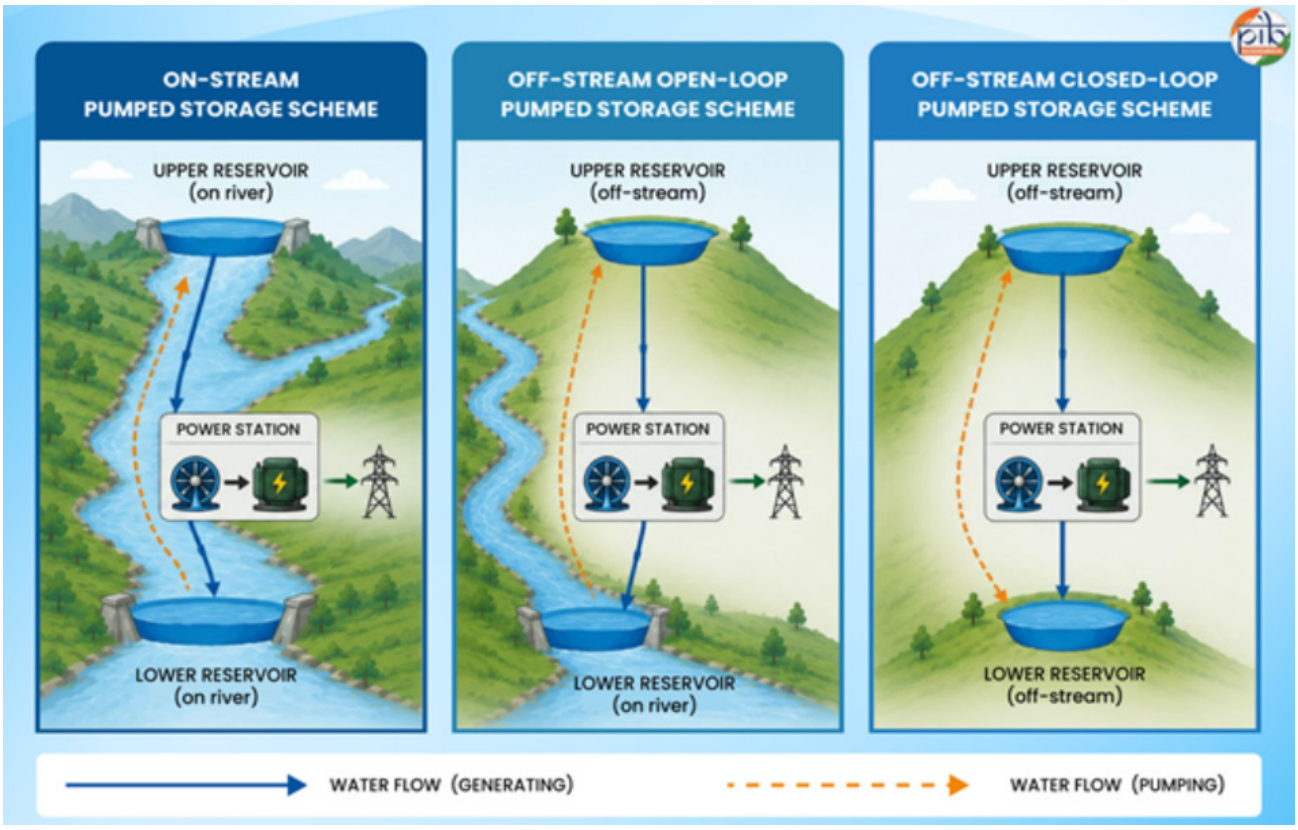
पंपित भंडारण जलविद्युत (PSH) क्या है?

- पंपित भंडारण परियोजनाएँ (PSPs) बड़े पैमाने की ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ हैं, जो विद्युत ऊर्जा का भंडारण करने के लिए जल और गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करती हैं। इन्हें प्रायः "जल बैटरी" कहा जाता है।
- एक सामान्य पंपित भंडारण परियोजना में अलग-अलग ऊँचाइयों पर स्थित दो जलाशय होते हैं।
- अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होने की अवधि में जल को निचले जलाशय से पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुँचाया जाता है।
 - जब विद्युत की माँग बढ़ती है, तब संग्रहित जल को टरबाइनों से प्रवाहित किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है।
- पंपित भंडारण परियोजनाएँ सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करने, विद्युत की अधिकतम माँग को पूरा करने तथा विद्युत ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करती हैं।



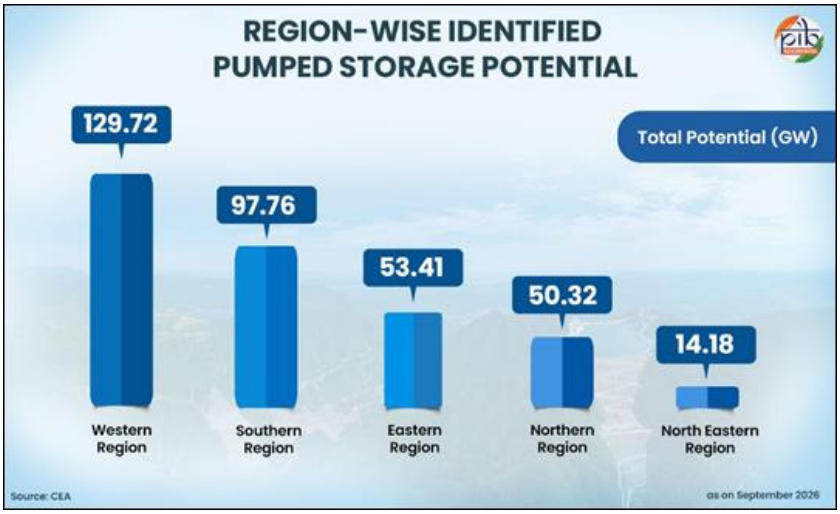
पंपित भंडारण विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण

- पंपित भंडारण परियोजनाओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि उनके जलाशय प्राकृतिक जलधाराओं से किस प्रकार जुड़े हुए हैं अथवा उनके संबंध में किस स्थिति में स्थित हैं।
- इन्हें तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
 - जलधारा से जुड़े संयंत्र (ऑन-स्ट्रीम)।
 - जलधारा से अलग खुले चक्र वाले संयंत्र (ऑफ-स्ट्रीम ओपन-लूप)।
 - जलधारा से अलग बंद चक्र वाले संयंत्र (ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप)।



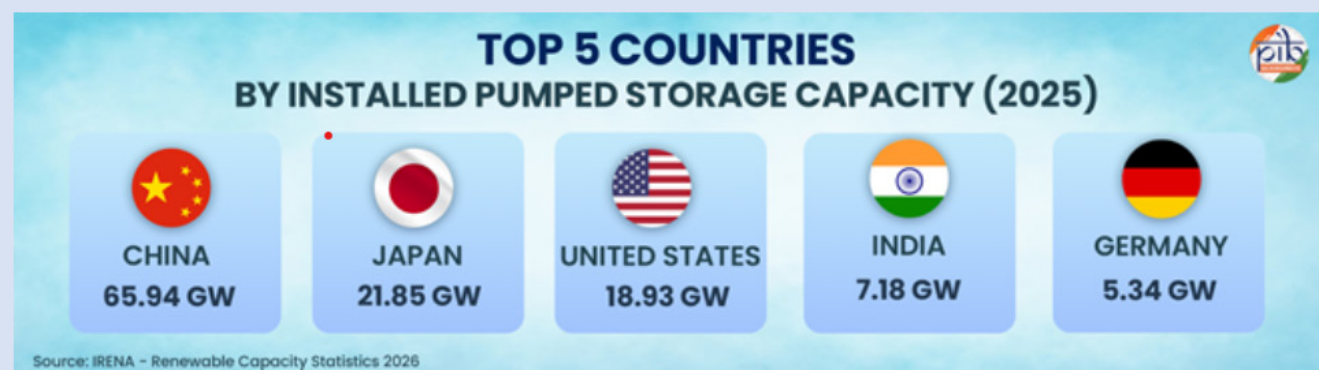
भारत में पंपित भंडारण का विस्तार

- **संचालित क्षमता:** अगस्त 2026 तक भारत में 10 परियोजनाओं के अंतर्गत 7.43 गीगावाट की पंपित भंडारण जलविद्युत क्षमता संचालित है। इन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है।
- भारत ने कुल 345.38 गीगावाट की संयुक्त संभावित क्षमता वाली 320 पंपित भंडारण परियोजनाओं की पहचान की है।
 - इसमें 56.67 गीगावाट क्षमता वाली 62 जलधारा से जुड़ी परियोजनाएँ तथा 288.71 गीगावाट क्षमता वाली 258 जलधारा से अलग परियोजनाएँ शामिल हैं।



पंपित भंडारण परियोजनाओं की वैश्विक स्थापित क्षमता

- अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, वर्ष 2025 के अंत तक वैश्विक स्तर पर स्थापित पंपित जलविद्युत भंडारण क्षमता 159.8 गीगावाट थी।



भारत द्वारा की गई पहलें

- **पंपित भंडारण परियोजनाओं के विकास हेतु समर्पित दिशा-निर्देश:** विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में भारत में पंपित भंडारण परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।
- **प्रशुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया:** वर्ष 2025 में अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भंडारण क्षमता और संग्रहित ऊर्जा की खरीद के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है।
- **पारेषण शुल्क में छूट:** 30 जून 2028 तक निर्माण के लिए स्वीकृत पात्र पंपित भंडारण परियोजनाओं को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से 25 वर्षों तक अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क में 100% छूट मिल सकती है।
- **त्वरित अनुमोदन:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर सहमति प्रदान करने की समय-सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है।
- **एकीकृत नियोजन:** सरकार ग्रिड की लचीलेपन की क्षमता में सुधार करने और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को समायोजित करने के लिए ऊर्जा भंडारण एवं पारेषण नियोजन को एकीकृत कर रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- उच्च प्रारंभिक पूँजीगत लागत और निर्माण की लंबी अवधि।
- भौगोलिक सीमाएँ, जिनमें उपयुक्त ऊँचाई का अंतर, भूगर्भीय परिस्थितियाँ और जल की उपलब्धता शामिल हैं।
- वनों, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और स्थानीय समुदायों पर संभावित पर्यावरणीय प्रभाव।
- पारेषण संपर्क, आवश्यक स्वीकृतियों और परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन की आवश्यकता।

निष्कर्ष

- पंपित भंडारण जलविद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण उपलब्ध कराने, विद्युत ग्रिड की लचीलेपन की क्षमता में सुधार करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक एकीकरण को संभव बनाने में सहायक है।
- इसका सफल विस्तार आधारभूत संरचना के विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के बीच संतुलन स्थापित करने पर निर्भर करेगा।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग

संदर्भ

- विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि गंगा जल संधि की आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक "संरचित तंत्र" उपस्थित है।

परिचय

- द्विपक्षीय गंगा जल संधि 12 दिसंबर को समाप्त होने वाली है।
- इस संधि पर वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- नदी जल बँटवारे से संबंधित इस तीन दशक पुराने समझौते के नवीनीकरण के लिए विशेषज्ञ स्तर पर विचार-विमर्श और राजनीतिक परामर्श आवश्यक हैं।

जल संधि तंत्र

- भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 नदियाँ साझा हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता तीन प्रमुख नदियाँ हैं, जो बांग्लादेश की कृषि और बाढ़ की तैयारी से संबंधित व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- 24 नवंबर, 1972 को एक संविधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद संयुक्त नदी आयोग अस्तित्व में आया।
- भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन दोनों भागीदार देशों द्वारा एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति के माध्यम से किया जाता है। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
 - आयोग की बैठकें प्रतिवर्ष बारी-बारी से बांग्लादेश और भारत में आयोजित की जाती हैं।
- **कार्य:** दोनों देशों के बीच नदी से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखना, ताकि दोनों पक्ष नदी के जल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।
 - आयोग से बाढ़ नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं, चक्रवात की चेतावनियों और सिंचाई परियोजनाओं से निपटने के लिए घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
 - दोनों सरकारें आयोग को अन्य ऐसे कार्य भी सौंप सकती हैं, जिन्हें वे आवश्यक समझें।

स्रोत: TH

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव

समाचार में

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में बड़ी राजनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा में अपना नियंत्रण खोने की ओर अग्रसर है और संभवतः सीनेट में भी उसका नियंत्रण समाप्त हो सकता है।

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव क्या हैं?

- ये चुनाव प्रत्येक चार वर्ष में राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में आयोजित किए जाते हैं।
- ये चुनाव सरकार के प्रदर्शन और उसकी नीतियों पर जनमत-संग्रह के रूप में कार्य करते हैं।
- यद्यपि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, फिर भी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और कई राज्यों के गवर्नर पदों के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
- ये चुनाव विकेंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से संपन्न होते हैं, जिसमें मतदान, मतपत्रों की छपाई और मतगणना की जिम्मेदारी अलग-अलग राज्यों एवं स्थानीय प्राधिकरणों की होती है।
- चुनाव परिणामों को इस बात के संकेतक के रूप में भी देखा जाता है कि अमेरिका की जनता अब तक राष्ट्रपति के प्रदर्शन से कितनी संतुष्ट है।



स्रोत: TH

सिक्किम का सोरेंग बना भारत का प्रथम अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर

संदर्भ

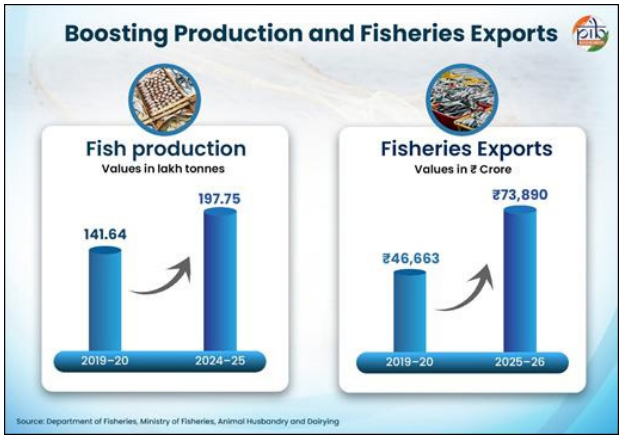
- सिक्किम का सोरेंग जिला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत भारत का प्रथम अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर बन गया है।

परिचय

- इस क्लस्टर में हानिकारक रसायनों, प्रतिजैविकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ एवं सतत मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है।
 - इसमें विशेष रूप से अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प प्रजातियों (IMC) और ट्राउट मछली पालन पर बल दिया गया है।
- क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार ने देशभर में मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण से संबंधित 34 क्लस्टरों को अधिसूचित किया है। इनमें सिक्किम और मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर भी शामिल हैं।
 - जैविक मत्स्य क्लस्टर का उद्देश्य रसायनों, प्रतिजैविकों और कीटनाशकों से मुक्त पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मत्स्य पालन प्रणाली को बढ़ावा देना है।
 - इससे पर्यावरणीय प्रदूषण न्यूनतम रखने और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाली क्षति रोकने में सहायता मिलती है। साथ ही, यह टिकाऊ मत्स्य उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

- यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसे वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** विभिन्न योजनाओं एवं पहलों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को तीव्र गति से विकसित करना।
- PMMSY एक व्यापक योजना है, जिसके दो अलग-अलग घटक हैं:
 - केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CS)।
 - केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
- केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के घटक को आगे लाभार्थी-उन्मुख और गैर-लाभार्थी-उन्मुख उपघटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:
 - उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
 - आधारभूत संरचना एवं कटाई-पश्चात प्रबंधन।
 - मत्स्य प्रबंधन एवं विनियामक ढाँचा।



स्रोत: TH

संरक्षित क्षेत्र परमिट नियम

समाचार में

- नागालैंड सरकार ने राज्य के प्रमुख हॉर्नबिल महोत्सव से पहले केंद्र सरकार से राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) व्यवस्था को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया है।

संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) व्यवस्था

- इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे किसी विदेशी नागरिक के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित या प्रतिबंधित घोषित क्षेत्रों में जाने के दौरान अपने साथ रखना अनिवार्य होता है।
- इसे प्रारंभ में विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत लागू किया गया था।
- **क्षेत्रीय विस्तार:** विदेशी नागरिकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में जाने के लिए PAP की आवश्यकता होती है:
 - अरुणाचल प्रदेश।
 - मणिपुर।
 - मिजोरम।
 - नागालैंड।
 - सिक्किम।
 - अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।
 - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र।
- वर्ष 2011 में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के लिए इस व्यवस्था में छूट दी गई थी।
- हालाँकि, सुरक्षा संबंधी कारणों का उदाहरण देते हुए दिसंबर 2024 में इसे पुनः लागू कर दिया गया।

स्रोत: IE

लद्दाख में केसर की खेती

संदर्भ

- लद्दाख में संचालित एक प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत रोपण के मात्र 30 दिनों के अंदर केसर के पौधों में प्रथम बार फूल खिलने की घटना दर्ज की गई है। यह सामान्यतः लगभग दो महीने में होने वाले पुष्पन काल से पहले की उपलब्धि है।

केसर के बारे में

- केसर(क्रोकस सैटिवस) एक मसाला है, जो केसर के फूल के सूखे लाल वर्तिकाग्रों से प्राप्त किया जाता है।
- श्रमसाध्य कटाई, सीमित उत्पादन और उच्च बाजार मूल्य के कारण इसे सामान्यतः विश्व का सबसे महँगा मसाला माना जाता है।
- इसका उपयोग मसाले, प्राकृतिक रंगकारी पदार्थ, पारंपरिक चिकित्सा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में किया जाता है।

उगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ

- केसर की खेती के लिए सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं:
 - **जलवायु:** समशीतोष्ण जलवायु, जिसमें सर्दियाँ ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क हो।
 - **मृदा :** जल निकास वाली उपजाऊ मृदा, ताकि कंदों को सड़ने से बचाया जा सके।
 - **धूप एवं आर्द्रता:** पुष्पन और कटाई के दौरान पर्याप्त धूप तथा अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियाँ।
- **प्रवर्धन:** इसकी खेती पारंपरिक बीजों के बजाय भूमिगत कंदों (बल्ब जैसी भंडारण संरचनाओं) के माध्यम से की जाती है।



भारत में केसर की खेती

- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:** जम्मू-कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
 - पंपोर (पुलवामा जिला), जिसे कश्मीर की केसर घाटी के नाम से जाना जाता है।
 - बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिले।
- **वैश्विक स्थिति:** ईरान विश्व का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है, जबकि भारत अपेक्षाकृत कम मात्रा में केसर का उत्पादन करता है।
- **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग:** कश्मीरी केसर को वर्ष 2020 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया था।

स्रोत: DTE

प्रथम अंतरराष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026

संदर्भ

- प्रथम अंतरराष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया गया।

परिचय

- भारत का लक्ष्य अआगामी दशक में मक्का उत्पादन को लगभग 5.5 करोड़ टन से बढ़ाकर 7.5 करोड़ टन करना है।
 - इस लक्ष्य को बेहतर फसल उत्पादकता, नवीन प्रजनन प्रौद्योगिकियों, सुदृढ़ बीज प्रणालियों और किसान-केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
- **विषय:** परिवर्तित विश्व में खाद्य, पशु आहार, चारा, ईंधन और सततता के लिए मक्का क्रांति (M4FS)।

मक्का के बारे में

- मक्का, जिसे सामान्यतः कॉर्न कहा जाता है, घास कुल (Poaceae) से संबंधित एक अनाज फसल है।
- **उत्पत्ति:** मध्य अमेरिका, विशेष रूप से मेक्सिको।
- **सबसे बड़ा उत्पादक:** संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है। इसका उत्पादन 430.9 मिलियन मीट्रिक टन है।
- **भारत की स्थिति:** व्यक्तिगत देशों में भारत पाँचवें स्थान पर है, जहाँ मक्का का उत्पादन लगभग 5.509 करोड़ टन है।

मक्का की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ

- **मृदा:** मक्का अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट से लेकर गादयुक्त दोमट मृदा में अच्छी तरह उगता है। जलोढ़ मृदा इसकी खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है।
 - मक्का की खेती के लिए आदर्श मृदा pH मान 5.5 से 7.5 के बीच होता है।
- **जल निकास:** खेतों में जलभराव मक्का की फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उचित जल निकास आवश्यक है।

- **तापमान:** मक्का गर्म जलवायु की फसल है, जिसके लिए 21°C से 32°C के बीच का तापमान अनुकूल होता है।
- **वर्षा:** इसके लिए 50–100 सेमी की समान रूप से वितरित वर्षा आवश्यक होती है।
- **ऋतु:** भारत में मक्का की खेती सामान्यतः खरीफ ऋतु (जून-सितंबर) के दौरान की जाती है। हालाँकि, क्षेत्र और विशिष्ट किस्म के आधार पर इसकी बुवाई अन्य ऋतुओं में भी की जा सकती है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना।

स्रोत: PIB

अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026

संदर्भ

- अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026 का उद्घाटन समारोह विशाखापत्तनम स्थित समुद्री युद्ध केंद्र (MWC) में आयोजित किया गया।

परिचय

- वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सैन्य अभ्यास है।
- वर्ष 2026 का यह संस्करण एक संगोष्ठी-आधारित अभ्यास (TTX) के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के दौरान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त योजना, समन्वय और पारस्परिक कार्य-संचालन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- प्रथम बार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का एक दल भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है।

स्रोत: PIB